पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्र0न0 169 / 2025

1 हरिराम पुत्र शेराराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

<u>डिक्री</u> दिनांक 11/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र कुमा चिनिया व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं0 4 आर डबल्यू डी के खाता सं0 66 / 58 तथा चकनं0 2 आर डबल्यू डी के खाता सं0 90 / 87 में दर्ज वादी का नाम मोडुराम उर्फ हरिराम पुत्र शेराराम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर वादी का सही नाम हरीराम पुत्र शेराराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है यदि वादी पर किसी भी प्रकार कोई आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी